110

SCHEDULE-IV

[See Rule 5(ii)]

Grade Designation mark

'Design of AGMARK replica'

NAME OF COMMODITY.............

GRADE...............................

[File No. 18011/5/93-M.II]

P. JYOTI RAO, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1995

सा.का.नि. 40 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ज्येष्ठ दंत तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (समूह "ग") (ज्येष्ठ दंत तकनीशियन) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम, 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ट दंत तकनीशियन	1 (एक)* (1993) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1400-40-1800-द. रो.-50-2300 रु.	अचयन	नहीं	18 और 28 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) । टिप्पण: 1. आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । टिप्पण : 2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा, अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय सहित इंटरमीडिएट या समतुल्य । (ii) रजिस्ट्रीकृत दंत स्वास्थ्य विज्ञानी और (iii) दंत स्वास्थ्य विज्ञानी/दंत तकनीशियन के रूप में एक वर्ष का अनुभव ।	आयु : नहीं अर्हता : नहीं, किन्तु विज्ञान विषय सहित कम से कम मैट्रिक पास या समतुल्य और रजिस्ट्रीकृत दंत स्वास्थ्य विज्ञानी होना चाहिए ।	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।
11	12
शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	ऐसे दंत स्वास्थ्य विज्ञानी/दंत तकनीशियन में से प्रोन्नति जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणियों में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. परामर्शी/ज्येष्ठ चिकित्सक/ज्येष्ठ शल्य चिकित्सक—अध्यक्ष 2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य 3. दन्त विभागाध्यक्ष —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[सं. ए-12018/8/92-आरआर (एच)]

लाल सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 9th January, 1995

G.S.R. 70.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Senior Dental Technician in the Safdarjang Hospital, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Safdarjang Hospital, New Delhi (Group 'C') Senior Dental Technician) Recruitment Rules, 1995.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of the recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, be order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Senior Dental Technician	1(One)* (1993) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300.	Non-Selection

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
No	Between 18 and 28 years. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : 1. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti Distt. and Pangi sub-division of Chamba Distt. of Himachal Pradesh, A&N Islands or Lakshadweep). 2. In the case of rectt. made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential : (i) Intermediate or equivalent with Science subjects from a recognised Board. (ii) Registered Dental Hygienist; and (iii) One year's experience as Dental Hygienist/Dental Technician.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentages of the vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made
9	10	11	12
Age : No Qualification : No, but should be atleast Matriculate or equivalent with Science subjects and Registered Dental Hygienist.	Two years.	100% by promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion from Dental Hygienist/Dental Technician with 5 years regular service in the respective grades.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Consultant/Senior Physician/Senior Surgeon—Chairman. 2. Chief Administrative Officer—Member. 3. Concerned Head of the Deptt.—Member.	Not applicable.

[No. A-12018/8/92-RR(H)]

LAL SINGH, Under Secy.